तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ता[redacted] में जारी हुए
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। अर्जी॰ उपस्थित उनका वाद पत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा॰ मि॰ है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांक:– 92/2024(एसीएम नं0 40/24)

1. गजेन्द्र सिंह
2. हेमसिंह पुत्रान कुमरसिंह जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. महाराजसिंह पुत्र परमाराम
2. तेजसिंह
3. बृजेन्द्र
4. मोहरसिंह पुत्रान भिखारीराम
5. विद्या पत्नि भिखारीराम
6. किशनसिंह पुत्र हरीसिंह
7. पप्पू पुत्र मंगलराम समस्त जातियान जाटव निवासीयान तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।
8. अमीरादेवी पुत्री नेकसिया जाति जाटव निवासी मौरोली कला तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी तेहरा ब्राह्मण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
9. चरनसिंह पुत्र परमाराम जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

..........असल प्रतिवादीगण

10. प्रबन्धक महोदय आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

..............फोरमल प्रतिवादीगण

12. विमला पत्नि किशनसिंह जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

..............प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट वादी
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रति0

दिनांक:–10.04.2026

निर्णय

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 565/0.41, 605/0.33, 625/0.45, 672/0.72है0 बाके ग्राम तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी से हम वादीगण ने दिनांक 29.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 9 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था और जिस समय खरीद किया था उसी रोज से प्रतिवादी संख्या 9

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त आराजीयात के जिस हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा था उसी स्थान पर कब्जा व काश्त हम वादीगण की रही है। किन्तू प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 8 हम वादीगण के मुकाबले पैसे बाले लठैत एवं ताकतबर व्यक्ति है जोकि हम वादीगण की कमजोरी का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 06.05.2024 को विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने एवं आराजी को बिना विभाजन कराये अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तिकिल करने की धमकी दी है। जिसके कारण वादीगण ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 8 की ओर से दिनांक 23.07.2024 को जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 12 को जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकार मुकदमा बनाया गया। दिनांक 19.11.2024 को वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 लगा0 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो कि वाद तस्दीक पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। दिनांक 16.12.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 12 ने राजीनामा पेश किया जोकि वाद तस्दीक पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा उक्त प्रकरण को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत राजीनामा एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 12 के द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण का वादपत्र राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। दिनांक 19.11.2024 एवं 16.12.2024 को प्रस्तुत राजीनामा डिक्री का जुज रहेगें। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

गजेन्द्र सिंह वनाम महाराजसिंह वगै०

दावा वावत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 92/2024 (ACMS No: 40/24) सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–व–रू हमारे

व हाजरी श्री नरेन्द्रपाल एडवोकेट मिनजानिव ....

श्री घनश्याम धाकड़ एड० मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। दिनांक 19.11.2024 एवं 16.12.2024 को प्रस्तुत राजीनामा डिक्री का भाग रहेंगे। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, भू-राजस्व निर्धारित करेंगे।

आज.......... मुवलिग.......... वावत्..........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.......... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत (signature) उपखण्ड अधिकारी

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 92/2024(एसीएम नं0 40/24)

1. गजेन्द्र सिंह
2. हेमसिंह पुत्रान कुमरसिंह जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....वादीगण

बनाम

1. महाराजसिंह पुत्र परमाराम
2. तेजसिंह
3. बृजेन्द्र
4. मोहरसिंह पुत्रान भिखारीराम
5. विद्या पत्नि भिखारीराम
6. किशनसिंह पुत्र हरीसिंह
7. पप्पू पुत्र मंगलराम समस्त जातियान जाटव निवासीयान तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।
8. अमीरादेवी पुत्री नेकसिया जाति जाटव निवासी मौरोली कला तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी तेहरा ब्राह्मण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
9. चरनसिंह पुत्र परमाराम जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

..........असल प्रतिवादीगण

10. प्रबन्धक महोदय आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

..............फोरमल प्रतिवादीगण

12. विमला पत्नि किशनसिंह जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

..............प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपूर)